कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर (कैमूर)

पत्रांक ......496....... / दिनांक.....23/3/15.........

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
–सह– सचिव ,मॉं मुण्डेश्वरी पर्यटन
एवं सांस्कृतिक विंकास परिषद्
भगवानपुर, (कैमूर)

सेवा में,

संपादक – दैनिक हिन्दुस्तान ।
संपादक – दैनिक,दैनिक जागरण।
संपादक – दैनिक,प्रभात खबर।

विषयः– माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास परिषद् भगवानपुर (कैमूर) का वैरियर निलामी (वाहन कर) की सूचना प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि, माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्, अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2015–16 में बैरियर निलामी की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया दो दिनों के अन्दर कैमूर संस्करण में D.A.V.P दर पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय, तथा विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद शीध्र विपत्र प्रस्तुत करें, ताकि सरकारी दर पर भुगतान किया जा सके।

विश्वासभाजन

23.3.15

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
–सह– सचिव माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन
एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्,
भगवानपुर(कैमूर)

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –सह– सचिव माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्, भगवानपुर (कैमूर)।

बैरियर निलामी वित्तिय वर्ष 2015–16 की सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास परिषद् में अवस्थित वाहन प्रवेश कर (बैरियर) की निलामी दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के लिए होगा।

निलामी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 30.03.015 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में होगा। अपरिहार्य कारण से दिनांक 30.03.014 को निलामी नही होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में निलामी होगा।

क्रमांक	शीर्ष	सुरक्षित राशि	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
1	बैरियर निलामी, माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास परिषद् में वाहन प्रवेश शुल्क –	726000.00 (सात लाख छब्बीस हजार मात्र)	72600.00 (बहत्तर हजार छः सौ)	

निलामी की शर्ते निम्नांकित है।

1. डाक बोलने वाले व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि का 10% (दस प्रतिशत) जमानत की राशि जमा करने वाले व्यक्ति को ही, राशि जमा करने के पश्चात डाक बोलने की अनुमति दी जायेगी।
2. अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी दी जाएगी, डाक की पुरी राशि एक मुस्त निलामी के पश्चात जमा करना होगा।
3. डाक की पूरी राशि जमा करने के पश्चात ही परवाना निर्गत किया जाएगा।
4. चेक या बैंक, ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा।
5. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा डाक की राशि जमा नहीं करने पर उससे निकटतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी दी जायेगी, तथा प्रथम स्थान पर डाक बोलने वाले व्यक्ति का जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये डाक की सूचना वापस लेने, संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. मालिकाना हक किसी को नहीं रहेगा, मात्र शुल्क वसुलने का अधिकार रहेगा।
8. उपांकित वर्णित स्थलों की वसूली परिषद् द्वारा निर्धारित दर पर ही लागू रहेगा। दर से अधिक राशि वसुलने सम्बधित शिकायत प्राप्त होने पर निलामी रद्व कर दी जायेगी।
9. सभी प्रकार के सरकारी वाहनों एवं परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों के वाहनों का प्रवेश निः शूल्क रहेगा।

23.3.15

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
–सह– सचिव माँ मुण्डेश्वरी पर्यटन
एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्,
भगवानपुर, (कैमूर)